

दिनांक शिमला-171004 .

11-1-2018

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,  
D. A. V. Public School, Theog.  
खण्ड ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 1

विषय :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 9 के उपनियम ( 5 ) के अधीन विधालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण- पत्र ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्र:संख्या -शून्य दिनांक 27.01.2017 के आवेदन और विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, मैं D. A. V. Public School, Theog.खण्ड ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को 01.03.2017 से 28.02.2022 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवी तक के लिए अनन्तमान मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ तथा हर वर्ष हेतू क0 सं 019 के अनुसार कार्यावाही करे ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 से आगे विधालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
  2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ( उपाबन्ध-1 ) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011( उपाबन्ध-2 ) के उपाबन्धों का पालन करेगा।
  3. सोसाइटी/ विधालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगी/करेगा।
  4. विधालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा-
    - (1) आयु का सबूत न होना ।
    - (11) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो, और
    - (111) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।
  5. विधालय यह सुनिश्चित करेगा कि -
    - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
    - (11) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक उत्पीडन किया जायेगा।
    - (111) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (पअ) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (अ) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- (अप) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 ( 1 ) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहर्ताएं नहीं है, मार्च 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेंगे।
- (अपप) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्या का पालन करेगा /करेगी और
6. विधालय, धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

7. विधालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विधालय में उपलब्ध सुविधाओं क अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा।
8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्ततम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-  
 विधालय परिसर का क्षेत्रफल, :- 1600.00 वर्ग फुट  
 कुल निर्मित क्षेत्र, :- 1500.00 वर्ग फुट  
 क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल, :- .....  
 कक्षा के कमरों की संख्या, :- 15

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड -डे -मिल पकाने हेतू रसोई अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पंहुच ,

9. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विधालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।
10. विधालय भवनों या अन्य अवसंरचनाओं या क्रीडा स्थलों का, विधालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाए, दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनैतिक या गैर - शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।
12. विधालय को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विधालय के लेखाओं की, किसी चार्टड एकाउंटेड द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विधालय को आंबटित मान्यता कोड संख्याक 000361 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।
18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 ( एन 0 ) उपखण्ड ( 11 ) तथा ( 4 ) में निर्दिष्ट सभी बैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-धोशणा पत्र ( प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए ) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। मान्यता के नवीनीकरण हेतू पांच सौ रुपये का भुल्क प्रति वर्ष देय होगा।

*(Handwritten Signature)*  
10/01/18

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक  
शिमला-4, जिला शिमला।

.....2017

पृष्ठांकन  
प्रतिलिपि :-

संख्या

दिनांक

शिमला-171004

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी त्रियोग को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षक नस्ति 1

*(Handwritten Signature)*  
उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक  
शिमला-4, जिला शिमला।

संख्या : शिक्षा - शिमला प्रा० ( 2-4 ) ए ( 1 ) 1 / 11 - मान्यता प्राप्त - 9321-23  
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,  
जिला शिमला- शिमला -171004

दिनांक शिमला-171004.

02/07/2019

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्र सम संख्या: द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए पहली से आठवी कक्षा तक के लिए आपकी पाठशाला को चलाने हेतु मान्यता कोड **000361** जारी किया गया है, का नवीनीकरण वर्ष 2019-2020 के लिए किया जाता है तथा हर वर्ष हेतु उपरोक्त मान्यता कोड जारी पत्र में क०सं० 01 से 19 पर दिये गये दिशा-निर्देशानुसार समय पर मामला सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि वर्ष 2020-2021 के लिए मान्यता कोड का नवीनीकरण समय पर किया जा सके तथा भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के पत्र की छायप्रति संलग्न करे।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक  
शिमला-4, जिला शिमला ।

पृष्ठाकंन संख्या दिनांक शिमला-171004

.....2019

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी **Theog** को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य **D.A.V. Public School, Theog** शिमला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित है ।
4. रक्षक नस्ति ।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक  
शिमला-4, जिला शिमला ।

संख्या : शिक्षा - शिमला प्रा० ( 2-4 ) ए ( 1 ) 1 / 20 - मान्यता प्राप्त - 7484-86  
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,  
जिला शिमला- शिमला -171004

दिनांक शिमला-171004.

15-12-2020.

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्र सम संख्या: द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए पहली से आठवी कक्षा तक के लिए आपकी पाठशाला को चलाने हेतु मान्यता कोड 000361 जारी किया गया है, का नवीनीकरण वर्ष 2020-2021 के लिए किया जाता है तथा हर वर्ष हेतु उपरोक्त मान्यता कोड जारी पत्र में क्र०सं० 01 से 19 पर दिये गये दिशा-निर्देशानुसार समय पर मामला सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि वर्ष 2021-2022 के लिए मान्यता कोड का नवीनीकरण समय पर किया जा सके तथा भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के पत्र की छायप्रति संलग्न करे।

पृष्ठाकंन संख्या दिनांक शिमला--171004

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक  
शिमला-4, जिला शिमला ।  
.....2020.

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला --1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी Theog को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य D.A.V. Public School, Theog जिला शिमला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित है ।
4. रक्षक नस्ति ।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक  
शिमला-4, जिला शिमला ।